

**मांग संख्या 30**  
**मुख्य शीर्ष 2505**

**मद क्रमांक 1**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक/डाकघर के माध्यम से करने के लिये सेवा शुल्क के व्यय हेतु राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।